

श. कौ. अ. परिषद की स्थापना  
भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन अधिनियम  
(1960) का 21वाँ अधिनियम के अन्तर्गत  
रजिस्ट्रार स्वायत्त कौशल के रूप में की गयी थी  
और इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
भारत सरकार, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों  
के शिक्षा विभागों की शिक्षा के क्षेत्र में उन्नती,  
कार्यन्वयन करने की विशेष रूप से  
विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए  
सलाह एवं सहायता देने का काम दिया गया था।  
अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए N.C.E.R.T  
एवं उसके सदस्यों ई कार्रवाई इस प्रकार है

- ① विद्यालयी शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों/-  
विषयों पर स्वयं अनुसंधान शोध  
कार्य करती है और इससे के द्वारा किया जा  
रहे शोध कार्यों के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन  
करती है तथा उनके बीच समन्वय करती है।
- ② अध्यापकों के लिए सैवापूर्व तथा सेवाकालीन  
प्रशिक्षण आयोजित करती है।
- ③ जो संस्थानें शैक्षिक अनुसंधान, अध्यापकों  
के प्रशिक्षण में संलग्न हैं तथा विद्यालयों  
के लिए विज्ञान लवाये- उपलब्ध कराती है  
तथा इसके विज्ञान सेवाओं की व्यवस्था  
करती है।
- ④ उन्नत शैक्षिक तकनीकें, परिपारियाँ, एवं नवत्या  
निकाल और प्रकाशित करती है  
प्रसारित